

कार्यालय भूमि अधिग्रहण हर्ता

12/1 जामनगर हाउस, नई दिल्ली- 11

सार्वजनिक सूचना

यह सार्वजनिक सूचना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो केस0सं0 SLP.No 18514/2006, 18617/2006 के संदर्भ में जारी की जा रही है। ये केस भूमि अधिग्रहण कानून 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिफिकेशन F.9(12)/95 L&B/LA/9743 दिनांक 01.06.1995 के संदर्भ में है। इन केसों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 5 क के अन्तर्गत आपति सुनने के आदेश दिये गये हैं।

उपरोक्त नोटिफिकेशन जनसाधारण में स्टाफ क्वार्टर निर्माण हेतु जारी किया गया था। खसरा नम्बरान जो उपरोक्त नोटिफिकेशन से अधिसूचित है का विवरण इस प्रकार है:-

ग्राम - मलिकपुर कोही, रंगपुरी

कुल रकबा: 306 बीघा 2 बिसवा

949,1012/2,1019/2,1020/2,1021,1022,1028,1029,1030,1031,1032,1033,1039/1,1039/2,1040,1041/11042, 1049,1050,1067,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084,1085,1086,1087,1088 /1,1088/2,1089,1090,1091,1092/1,1092/2,1093,1094,1095,1096,1097/1,1097/2,1098,1099,1100,1101,110 2,1103,1104/1,1104/2,1105/1,1105/2,1106,1107/1,1107/2,1108,1109,1110/1,1110/2,1110/3,1110/4,1111, 1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1124,1125,1126,1127,1128,1129,1130, 1131/1,1131/2,1135,1136,1137,1138,1139,1140,1141,1142,1143,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1150, 1151,1152,1153,1154,1155,1156,1157,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1164,1165/1,1165/2,1166,1167, 1168,1169/1,1169/2,1169/3,1169/4,1170,1171,1172/1,1172/2,1173,1174,1175,1176,1177,1178/1,1178/2, 1179,1180,1181,1182,1183,1184,1185,1186,1187,1188,1189,1190,1191,1192,1193,1194/1,1194/2,1195, 1196,1197,1198/1,1198/2,1199,1200/1,1200/2,1201,1211,1212,1213/1,1213/2,1214,1215,1216,1217,121 8/1,1218/2,1219/1,1219/2,1220/12,1221/1,1222,1223/1,1223/2,1223/3,1224,1225/1,1225/2,1226/1,1226/ 2,1226/3,1227,1228/1,1228/2,1229,1230/1,1230/2,1231,1232,1233,1234,1235/1,1235/2,1236,1237/1,123 7/2,1241/3,1242,1243,1244,1245,1246,1247,1248,1249,1250/1,1250/2,1251/1,1251/2,1251/3,1252,1253, 1254,1255/1,1255/2,1255/3,1255/4,1256/1,1256/2,1257,1258,1259,1260,1261,1262,1263,1264,1265,1266 ,1267,1268/1,1268/2,1269,1270,1271/1/2,1272,1273,1274/1,1274/2,1274/3,1275,1276,1277,1278,1283,1 284,1285,1286,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1306,1326,1328,1329,1330,1391,1392,1393,1394,1395, 1396,1397,1398,1399,1401,1402,1403,1404,1418,1423,1423/1,1424/2,1429/1,1429/2,1435,1440,1441,14 50,1451,1768/1,1808,1809,1810,1811,1914,1915,1916,1917,1918/1,1918/2,1919,1920,1921,1922,1923,1 924/1,1924/2,1925/1,1925/2,1926/1,1926/2,1927/1,1927/2,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935/1, 1935/2,1936,1937/1,1937/2

अतः जिस किसी व्यक्ति को उपरोक्त खसरा नम्बरान/भूमि के अधिग्रहण में आपति है इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 30 दिनों के अन्दर भूमि अधिग्रहण की धारा 5क के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण कार्यालय नई दिल्ली 12/1 जाम नगर हाउस में दाखिल करें। 30 दिनों के बाद इस संदर्भ में कोई भी आपति स्वीकार नहीं की जाएगी।

राजीवा शुक्ला

एडीएम/एलएसी, नई दिल्ली

1. पंचायत घर, पतवार घर, गॉव मलीकपुर कोही, रंगपुरी
2. सभी चौपाल गॉव मलीकपुर कोही, रंगपुरी
3. सभी प्रमुख जनप्रतिनिधि कार्यालय (एमपी/एमएलए, आदि)
4. सभी प्रमुख सरकारी कार्यालय, (डीडीए/एमसीडी)
5. एसडीएम, वसंत विहार
6. तहसीलदार, वसंत विहार
7. दो प्रमुख सामाचार पत्र हिन्दी और अंग्रजी भाषा में
8. नोटिस बोर्ड, एलएसी नई दिल्ली और एलएसी, दक्षिण-पश्चिम

नोट:- सभी सार्वजनिक सूचना उपरोक्त जगहों पर हल्का पटवारी ग्राम- मलिकपुर कोही, रंगपुरी, तहसील वसंत विहार नई दिल्ली के द्वारा चस्था किये जायेगे और इसकी रिपोर्ट भूमि अधिग्रहण कार्यालय नई दिल्ली में 3 दिनों के अन्दर भेजनी अनिवार्य है।

सूचना हेतु:-

1. निजी सहायक डीसी नई दिल्ली 12/1 जाम नगर हाउस नई दिल्ली
2. निजी सहायक डीसी दक्षिण-पश्चिम, कापासहेडा, नई दिल्ली
3. निजी सहायक, अतिरिक्त सचिव **L&B** विकास भवन नई दिल्ली
4. डिप्टी डायरेक्टर डीडीए, ए ब्लॉक विकास सदन नई दिल्ली
5. डीएलए, **L&B**, विकास भवन, नई दिल्ली
6. रचना श्रीवास्तव, सरकारी अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, भगवान दास मार्ग नई दिल्ली

राजीवा शुक्ला

एडीएम/एलएसी, नई दिल्ली